

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

क्रमा संख्या :- 170204 50 पत्र

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

1. पंजीबद्ध भूमि पिन मजलीबद्ध खतागत की विस्तार व हकूत-कार्ड

प्रार्थी.....

बनाम

1. मोहन लाल देव राजी मोहन लाल देव राजी 07 जमा मखिफ विमेल/खेत कार्ड 29
मकयाणा - वसु मखिफ जि. करेड़ा - भीलवाडा
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 15/12/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत र निवेदन किया कि ग्राम सिपूर पटवार हल्का सिपूर तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त तों की खाता संख्या..... आराजी नम्बर 2217
072081

कुल किता 1 रकबा 0.7208

हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की मे की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/12/21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी राने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी ने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते ये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 सैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....

सिपूर पटवार हल्का सिपूर तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या
आराजी नम्बर 2217
07208

कुल किता 1 रकबा 0.7208

हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-मभिलेख निरीक्षक राजेश को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रशासी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रशासी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा